06/01/2026	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर पास पारीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली नंबर से कम हो। निर्णय सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

GCMS 2024/478

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण सं. : 238/2024 GCMS:-2024/478 दायर दिनांक : 22.08.2024

1. उदाराम } पुत्रगण दीराजराम अकवाम जाट निवासीयान 1 डी.बी.एन.'ए'
2. कृष्णलाल } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

—वादीगण

बनाम

1. खेतपाल पुत्र दीराजराम जाति जाट निवासी 1 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर
3. एस.बी.आई. एडीबी शाखा गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ भूमिधारी

—प्रतिवादीगण

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री जसवीर सिंह बराड़, अभिभाषक वादीगण
2. पैरोकार राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

निर्णय

दिनांक : 06.01.2026

आज यह पत्रावली वादीगण के प्रार्थना—पत्र पर पेशी में ली गई। पत्रावली में तारीख पेशी 07.01.2026 नियत थी, किन्तु वादीगण द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादीगण द्वारा वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 53 व 209 आर.टी.ए. प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमें विभाजन प्रस्ताव मंगवाने के लिए प्राथमिक डिक्री जारी की हुई है। उक्त जैरकार पत्रावली में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव भेज दिया गया है। पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 07.01.2006 नियत है जिसे आज ही पेशी में लेकर पत्रावली पर सुनवाई करने की प्रार्थना की। प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पत्रावली में पेशी में लेकर सुनवाई की गई।

अभिभाषक वादीगण ने लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद [illegible] संयुक्त [illegible] खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 डी.बी.एन.'ए' तहसील सूरतगढ़ [illegible] खाता [illegible] 10/44 व चक 2 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 14/38 [illegible] चक 2 डी.बी.एन. के खाता सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

15/25 अंकित कुल भूमि में से वादीगण ने अपने नाम अंकित भूमि का मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त प्रतिवादी सं. 1 से अलग खाता कायम करने हेतु तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव लेकर खाता विभाजन की डिक्री जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें दिनांक 04.11.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया है। तहसीलदार ने आदेश की पालना में दिनांक 05.12.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर मौका पर पटवारी हल्का को भेजकर निरीक्षण कर विभाजन प्रस्ताव दिनांक 17.12.2025 को न्यायालय में भेज दिया गया है जिसके आधार पर वादीगण जैरवाद संयुक्त खाता की भूमि में से अपने–अपने हिस्सानुसार भूमि का खाता प्रतिवादी सं. 1 से अलग करवाना चाहते हैं। प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध दिनांक 27.11.2024 को इकतरफा कार्यवाही की जा चुकी है, इसलिए तहसीलदार द्वारा भेजे गये विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 का खाता विभाजन किये जाने के आदेश प्रदान करने की प्रार्थना की।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के, संक्षेप में, विचारण बिन्दु इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 53 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 के नाम से जैरवाद खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 1 डी.बी.एन.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 10/44 में अंकित 4.073 है0 नहरी मय खाला भूमि व वाके चक 2 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 14/39 में अंकित कुल 3.023 है0 नहरी/अनकमाण्ड बारानी भूमि एवं इसी चक 2 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 15/25 में अंकित कुल 0.915 है0 अनकमाण्ड बारानी मय गै.मु.रास्ता भूमि में से वादीगण ने मुताबिक घरू बंटवारा व कब्जा काश्त तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर वादीगण ने अपने नाम अंकित हिस्सा अनुसार भूमि का प्रतिवादी सं. 1 से अलग खाता कायम करवाना चाहा है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरुद्ध दिनांक 27.11.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जा चुके हैं। बाद सुनवाई दिनांक 04.11.2025 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को ... हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा बनाये गये नियम ... के ... में पक्षकारान के मौके पर चले आ रहे कब्जे, रास्ता व सिंचाई आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए

क्रमशः ..... पेज 3 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

उक्त खाते की भूमि का अंकित काश्तकारान के हिस्सा अनुसार भूमि का स्पष्ट नक्शा सहित अलग–अलग विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये। आदेशों की पालना में दिनांक 17.12.2025 को विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ, जिसे शामिल पत्रावली किया जाकर सुनवाई की गई। वादीगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव खाता विभाजन किये जाने व इसी अनुसार वाद वादीगण स्वीकार कर अन्तिम डिक्री जारी करने की प्रार्थना की गई। प्रतिवादीगण की ओर से विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर सुनवाई पर पाया कि राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार पक्षकारान के मौकेपर चले आ रहे कब्जे, रास्ता, सिंचाई आदि की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। सुनवाई के समय भी पक्षकारों द्वारा तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। विभाजन प्रस्ताव में रास्ता सभी को उपलब्ध हो, इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपरोक्त विवेचन अनुसार तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा वाके चक 1 डी.बी.एन.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 10 के पत्थर नं. 34/263 (5) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0 नहरी, 5/1 में 0.228 है0 नहरी, 5/2 में 0.025 है0 खाला, 6/1 में 0.228 है0 नहरी, 6/2 में 0.025 है0 खाला, 7 से 14/2.024 है0 नहरी, 15/1 में 0.228 है0 नहरी, 15/2 में 0.025 है0 खाला, 16/1 में 0.228 है0 नहरी, 16/2 में 0.025 है0 खाला, 17/1 में 0.025 है0 नहरी = 4.073 है0 (3.973 है0 नहरी व 0.100 है0 खाला) भूमि में से वादी सं. 1 के नाम अंकित 1358/4073 हिस्सा, वादी सं. 2 के नाम अंकित 1697/4073 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1018/4073 हिस्सा भूमि व वाके चक 2 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 14 के पत्थर नं. 30/271 (8) के किला नं. 1 से 3/0.759 है0 अ.क.बा., 4/1 में 0.127 है0 अ.क.बा., 7 से 13/1.771 है0 अ.क.बा., 14/1 में 0.164 है0 अ.क.बा. = 2.821 है0 अ.क.बा. भूमि में से वादी सं. 1 के नाम अंकित [illegible]/3023 हिस्सा, वादी सं. 2 के नाम अंकित 982/3023 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 530/3023 हिस्सा भूमि एवं इसी चक 2 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 के

क्रमशः ..... पेज 4 पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

खाता सं. 15 के पत्थर नं. 30 / 270 (5) के किला नं. 22 / 0.215 है0, 21 / 0.139 है0, 23 / 0.240 है0, 24 / 1 में 0.072 है0, पत्थर नं. 30 / 271 (8) के किला नं. 4 / 2 में 0.126 है0, 6 / 3 में 0.034 है0, 6 / 4 में 0.013 है0 व पत्थर नं. 31 / 270 (6) के किला नं. 24 / 0.013 है0, 25 / 0.063 है0, कुल 0.915 है0 (0.902 है0 अ.क.बा. व 0.013 है0 गै.मु.रास्ता) भूमि में से वादी सं. 2 के नाम अंकित 1 / 2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1 / 2 हिस्सा भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा स्वीकार कर तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को निम्न प्रकार से संलग्न नक्शानुसार पक्षकारान के नाम से अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं :–

नाम खातेदारान	ग्राम / चक	प.नं.	रकबा
उदाराम पुत्र दीराजराम हिस्सा 1325 / 2980 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर **कृष्णलाल पुत्र दीराजराम** हिस्सा 1655 / 2980 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर	चक 1 डी.बी.एन.'ए' खाता सं. 10	34 / 263 (5)	कि.नं. 1 से 4 / 1.012 है0, 5 / 1 में 0.228 है0, 6 / 1 में 0.228 है0, 7 / 0.253 है0, 8 / 0.169 है0 (उत्तर–पूर्वी पासा), 9 / 0.127 है0 (उत्तरी पासा), 10 / 0.126 है0 (उत्तरी पासा), 13 / 0.103 है0 (पूर्वी पासा), 14 / 0.253 है0, 15 / 1 में 0.228 है0, 16 / 1 में 0.228 है0, 17 / 1 में 0.025 है0 = **2.980 है0 नहरी**
खेतपाल पुत्र दीराजराम जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा गुरूसर मोडिया	चक 1 डी.बी.एन.'ए' खाता सं. 10	34 / 263 (5)	कि.नं. 8 / 0.084 है0 (दक्षिण–पश्चिमी पासा), 9 / 0.126 है0 (दक्षिणी पासा), 10 / 0.127 है0 (दक्षिणी पासा), 11 / 0.253 है0, 12 / 0.253 है0, 13 / 0.150 है0 (पश्चिमी पासा) = **0.993 है0 नहरी**
उदाराम पुत्र दीराजराम हिस्सा 33 / 100 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर **कृष्णलाल पुत्र दीराजराम** हिस्सा 42 / 100 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर **खेतपाल पुत्र दीराजराम** हिस्सा 25 / 100 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एस.बी.बी.जे. शाखा गुरूसर मोडिया	चक 1 डी.बी.एन.'ए' खाता सं. 10	34 / 263 (5)	कि.नं. 5 / 2 में 0.025 है0 ख़ाला, 6 / 2 में 0.025 है0 खाला, 15 / 1 में 0.025 है0 खाला, 16 / 2 में 0.025 है0 खाला = **0.100 है0 गै.मु. खाला**

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(238 / 2024 उदाराम वगैरह बनाम खेतपाल व अन्य)

नाम खातेदारान	ग्राम / चक	प.नं.	रकबा
खेतपाल पुत्र दीराजराम जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा गुरूसर मोडिया	चक 2 डी.बी.एन. खाता सं. 14 व 15	30 / 271 (8)	किला नं. 6 / 3 में 0.017 है0 (दक्षिणी पासा), 6 / 4 में 0.006 है0 रास्ता (दक्षिणी पासा), 7 / 0.022 है0 (दक्षिण –पूर्वी पासा), 11 / 0.237 है0 (दक्षिणी पासा), 12–13 / 0.506 है0, 14 / 1 में 0.164 है0 = **0.952 है0 (0.946 है0 अ.क.बा. व 0.006 है0 गै.मु. रास्ता)**
उदाराम पुत्र दीराजराम हिस्सा 1410 / 2784 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर **कृष्णलाल पुत्र दीराजराम** हिस्सा 1374 / 2784 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर	चक 2 डी.बी.एन. खाता सं. 14 व 15	30 / 271 (8)	कि.नं. 1 से 3 / 0.759 है0, 4 / 1 में 0.127 है0, 4 / 2 में 0.126 है0, 6 / 3 में 0.017 है0 (उत्तरी पासा), 6 / 4 में 0.007 है0 रास्ता (उत्तरी पासा), 7 / 0.231 है0 (उत्तर–पश्चिमी पासा) (नक्शा अनुसार), 8 से 10 / 0.759 है0, 11 / 0.016 है0 (उत्तरी पासा) = **2.042 है0 (2.035 है0 अ.क.बा. व 0.007 है0 गै.मु. रास्ता)**
		30 / 270 (5)	किला नं. 21 / 0.139 है0, 22 / 0.215 है0, 23 / 0.240 है0, 24 / 1 में 0.072 है0 = **0.666 है0 अ.क.बा.**
		31 / 270 (6)	24 / 0.013 है0, 25 / 0.063 है0 = **0.076 है0 अ.क.बा.**
			कुल 2.784 है0 (2.777 है0 अ.क.बा. व 0.007 है0 गै.मु.रास्ता)

इसी अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार संलग्न नक्शा में पक्षकारान की भूमि दर्शायी गई है। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार पक्षकारान का अलग–अलग खाता कायम करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 06.01.2026 को यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अन्तिम डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास – भरत जयप्रकाश मीणा, आई.ए.एस.

अनवान :–

1. उदाराम
2. कृष्णलाल

} पुत्रगण दीराजराम अकवाम जाट निवासीयान 1 डी.बी.एन.'ए' तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. खेतपाल पुत्र दीराजराम जाति जाट निवासी 1 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर
3. एस.बी.आई. एडीबी शाखा गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ भूमिधारी

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 53 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 238 वर्ष 2024 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादीगण श्री जसवीर सिंह बराड़ एवं पैरोकार राज** के पेश होने पर **अन्तिम डिक्री** जारी कर निम्न प्रकार आदेशित किया जाता है :

तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ द्वारा वाके चक 1 डी.बी.एन.'ए' तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खाता सं. 10 के पत्थर नं. 34/263 (5) के किला नं. 1 से 4/1.012 है0 नहरी, 5/1 में 0.228 है0 नहरी, 5/2 में 0.025 है0 खाला, 6/1 में 0.228 है0 नहरी, 6/2 में 0.025 है0 खाला, 7 से 14/2.024 है0 नहरी, 15/1 में 0.228 है0 नहरी, 15/2 में 0.025 है0 खाला, 16/1 में 0.228 है0 नहरी, 16/2 में 0.025 है0 खाला, 17/1 में 0.025 है0 नहरी = 4.073 है0 (3.973 है0 नहरी व 0.100 है0 खाला) भूमि में से वादी सं. 1 के नाम अंकित 1358/4073 हिस्सा, वादी सं. 2 के नाम अंकित 1697/4073 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1018/4073 हिस्सा भूमि व वाके चक 2 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता सं. 14 के पत्थर नं. 30/271 (8) के किला नं. 1 से 3/0.759 है0 अ.क.बा., 4/1 में 0.127 है0 अ.क.बा., 7 से 13/1.771 है0 अ.क.बा., 14/1 में 0.164 है0 अ.क.बा. = 2.821 है0 अ.क.बा. भूमि में से वादी सं. 1 के नाम अंकित 1511/3023 हिस्सा, वादी सं. 2 के नाम अंकित 982/3023 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 530/3023 हिस्सा भूमि एवं इसी चक 2 डी.बी.एन. तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2075 के खाता सं. 15 के पत्थर नं. 30/270 (5) के किला नं. 22/0.215 है0, 21/0.139 है0, 23/0.240 है0, 24/1 में 0.072 है0, पत्थर नं. 30/271 (8) के किला नं. 4/2 में 0.126 है0, 6/3 में 0.034 है0, 6/4 में 0.013 है0 व पत्थर नं. 31/270 (6) के किला नं. 24/0.013 है0, 25/0.063 है0, कुल 0.915 है0 (0.902 है0 अ.क.बा. व 0.013 है0 गै.मु.रास्ता) भूमि में से वादी सं. 2 के नाम अंकित 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 1 के नाम अंकित 1/2 हिस्सा भूमि का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा स्वीकार कर तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ को निम्न प्रकार से संलग्न नक्शानुसार पक्षकारान के नाम से अलग खाता कायम करने के आदेश दिये जाते हैं :–

नाम खातेदारान	ग्राम/चक	प.नं.	रकबा
उदाराम पुत्र दीराजराम हिस्सा 1325/2980 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर **कृष्णलाल पुत्र दीराजराम** हिस्सा 1655/2980 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर	चक 1 डी.बी.एन.'ए' खाता सं. 10	34/263 (5)	कि.नं. 1 से 4/1.012 है0, 5/1 में 0.228 है0, 6/1 में 0.228 है0, 7/0.253 है0, 8/0.169 है0 (उत्तर–पूर्वी पासा), 9/0.127 है0 (उत्तरी पासा), 10/0.126 है0 (उत्तरी पासा), 13/0.103 है0 (पूर्वी पासा), 14/0.253 है0, 15/1 में 0.228 है0, 16/1 में 0.228 है0, 17/1 में 0.025 है0 = **2.980 है0 नहरी**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(अन्तिम डिक्री प्र.स. 238/2024 उदाराम वगैरह बनाम खेतपाल व अन्य)

नाम खातेदारान	ग्राम/चक	प.नं.	रकबा
खेतपाल पुत्र दीराजराम जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन एस.बी.बी.जे. शाखा गुरूसर मोडिया	चक 1 डी.बी.एन.'ए' खाता सं. 10	34/263 (5)	कि.नं. 8/0.084 है0 (दक्षिण–पश्चिमी पासा), 9/0.126 है0 (दक्षिणी पासा), 10/0.127 है0 (दक्षिणी पासा), 11/0.253 है0, 12/0.253 है0, 13/0.150 है0 (पश्चिमी पासा) = **0.993 है0 नहरी**
उदाराम पुत्र दीराजराम हिस्सा 33/100 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर **कृष्णलाल पुत्र दीराजराम** हिस्सा 42/100 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर **खेतपाल पुत्र दीराजराम** हिस्सा 25/100 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एस.बी.बी.जे. शाखा गुरूसर मोडिया	चक 1 डी.बी.एन.'ए' खाता सं. 10	34/263 (5)	कि.नं. 5/2 में 0.025 है0 खाला, 6/2 में 0.025 है0 खाला, 15/1 में 0.025 है0 खाला, 16/2 में 0.025 है0 खाला = **0.100 है0 गै.मु. खाला**
खेतपाल पुत्र दीराजराम जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा गुरूसर मोडिया	चक 2 डी.बी.एन. खाता सं. 14 व 15	30/271 (8)	किला नं. 6/3 में 0.017 है0 (दक्षिणी पासा), 6/4 में 0.006 है0 रास्ता (दक्षिणी पासा), 7/0.022 है0 (दक्षिण–पूर्वी पासा), 11/0.237 है0 (दक्षिणी पासा), 12–13/0.506 है0, 14/1 में 0.164 है0 = **0.952 है0 (0.946 है0 अ.क.बा. व 0.006 है0 गै.मु. रास्ता)**
उदाराम पुत्र दीराजराम हिस्सा 1410/2784 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर **कृष्णलाल पुत्र दीराजराम** हिस्सा 1374/2784 जाति जाट साकिन 1 डी.बी.एन.'ए' खातेदार रहन हिस्सा एच.डी.एफ.सी. बैंक, शाखा श्रीगंगानगर	चक 2 डी.बी.एन. खाता सं. 14 व 15	30/271 (8)	कि.नं. 1 से 3/0.759 है0, 4/1 में 0.127 है0, 4/2 में 0.126 है0, 6/3 में 0.017 है0 (उत्तरी पासा), 6/4 में 0.007 है0 रास्ता (उत्तरी पासा), 7/0.231 है0 (उत्तर–पश्चिमी पासा) (नक्शा अनुसार), 8 से 10/0.759 है0, 11/0.016 है0 (उत्तरी पासा) = **2.042 है0 (2.035 है0 अ.क.बा. व 0.007 है0 गै.मु. रास्ता)**
		30/270 (5)	किला नं. 21/0.139 है0, 22/0.215 है0, 23/0.240 है0, 24/1 में 0.072 है0 = **0.666 है0 अ.क.बा.**
		31/270 (6)	24/0.013 है0, 25/0.063 है0 = **0.076 है0 अ.क.बा.**
			कुल 2.784 है0 (2.777 है0 अ.क.बा. व 0.007 है0 गै.मु.रास्ता)

इसी अनुसार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार संलग्न नक्शा में पक्षकारान की भूमि दर्शायी गई है। तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार पक्षकारान का अलग–अ[illegible] किये जाते हैं। रहन का अंकन यथावत रहेगा। इसी अनुसार अन्तिम [illegible] हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2026.01.12 16:09:22 IST
Reason: SelfAttested

नोज ....×.......... [illegible] ....×.......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. [illegible] ....×.......... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक [illegible] करे।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 06.01.2026 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़